रबी सीजन में किसानों को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति होगी- भजनलाल

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सौर ऊर्जा व बैटरी स्टोरेज की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए

जयपुर, 18 दिसम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गत 2 वर्षों में लिए गए निर्णयों से प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। साथ ही, किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए भी ठोस कदम उठाए गए हैं। उन्होंने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि रबी सीजन में किसानों के लिये पर्याप्त और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की समीक्षा बैठक ली तथा माँग के अनुरुप विद्युत उत्पादन का संतुलन बनाने के लिए स्थाई कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को विद्युत आपूर्ति की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री कार्यालय एवं ऊर्जा विभाग के उच्चाधिकारियों ने भाग लिया।

शर्मा गुरूवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में विद्युत आपूर्ति के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने राज्य में विद्युत आपूर्ति में आ रही समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिम्मेदार कार्मिकों और अधिकारियों की फील्ड विजिट में वृद्धि के लिए निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में बिजली की मांग के अनुरूप विद्युत उत्पादन का संतुलन बनाने की स्थायी कार्ययोजना तैयार कर मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि एवं वितरण तंत्र को मजबूत बनाने के लिए योजना के अनुरूप कार्य करें। उन्होंने ऊर्जा विभाग को प्रदेश में बैटरी स्टोरेज के साथ ही, सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीन क्षेत्रों में संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने "पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना" के संचालन में प्रगति लाने के लिए भी निर्देश दिए।

इस दौरान मुख्यमंत्री को ऊर्जा विभाग की ओर से प्रजेंटेशन के माध्यम से प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की जानकारी दी गई। इस अवसर पर ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित, मुख्यमंत्री कार्यालय एवं ऊर्जा विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

प्र.मंत्री मोदी 'ऑर्डर ऑफ ओमान' से सम्मानित

मस्कट, 18 दिसम्बर। ओमान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया है। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद ने गुरुवार को मस्कट में प्रधानमंत्री मोदी को इस सम्मान से नवाजा।

- यह ओमान का सर्वोच्च सम्मान है और सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद ने मस्कट में मोदी को इस सम्मान से नवाज़ा।

मोदी दो दिन की यात्रा पर ओमान गए हुए हैं। इससे पहले मोदी को इथियोपिया ने भी अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा था।

मोदी और सुल्तान अल सईद की मौजूदगी में भारत और ओमान ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर भी किए।

विपक्ष के भारी विरोध के बीच जी राम जी बिल लोकसभा में पारित

यह बिल दो दशक पुराने ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मनरेगा का स्थान लेगा

- विकसित भारत जी राम जी बिल पर लोकसभा में बुधवार देर रात तक लगभग 9 घंटे चर्चा चली तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहस का जवाब दिया।

नयी दिल्ली, 18 दिसंबर। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने वाली दो दशक पुरानी महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह लेने वाले "विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी -जी राम-जी (विकसित भारत जी राम जी) विधेयक 2025" को लोकसभा ने विपक्षी दलों के कड़े विरोध और भारी हंगामे के बीच गुरुवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

लोकसभा में वीबी -जी राम-जी विधेयक पर बुधवार देर रात तक करीब नौ घंटे चर्चा चली और सभी दलों के सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया। चर्चा के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि चर्चा में 98 सदस्यों ने हिस्सा लिया।

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को चर्चा का जवाब दिया जिसके बाद विधेयक को पारित कर दिया गया। चौहान ने कहा कि विधेयक महिला, युवा, गरीबों के जीवन में बदलाव लाने के साथ ही बापू के सपनों और उनके आदर्शों को जिंदा रखने में अहम भूमिका निभाएगा और यह कानून गरीबों की जिंदगी बदलकर आदर्श ग्राम स्थापित करेगा जिसमें लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

मनरेगा कानून 2005 में तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के कार्यकाल में बना था और उस सरकार का यह उसके प्रमुख कार्यक्रमों में से एक था। मनरेगा के जरिए ग्रामीण क्षेत्र में हर परिवार को न्यूनतम 100 दिन सालाना रोजगार की कानूनी गारंटी दी गयी। वीबी जी राम जी विधेयक में 100 के स्थान पर न्यूनतम 125 दिन के रोजगार की गारंटी का प्रस्ताव है। खेती-बाड़ी में श्रमिकों की कमी की समस्या को ध्यान में रखते हुए बुवाई-कटाई के मौसम में वर्ष में 60 दिन तक इस योजना के काम को स्थगित रखा जा सकता है। यह फैसला राज्य सरकारों के हाथ में होगा कि किस समय इसे स्थगित रखना है।

इसे केंद्र प्रायोजित योजना बनाया गया है और केंद्र तथा राज्य का अंशदान 60:40 के अनुपात में होगा। पूर्वोत्तर और हिमालय क्षेत्र के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 90 प्रतिशत धन केंद्र देगा। जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधायिका नहीं है वहां पूरा खर्च केंद्र उठाएगा।

'इंडिगो का बुरा समय बीत चुका है'

नयी दिल्ली, 18 दिसंबर। इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्बर्स ने गुरुवार को कहा कि बुरा समय बीत चुका है और 19 साल पुरानी विमान सेवा कंपनी को सिर्फ संकट के "तीन दिन" के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिये।

एल्बर्स ने कर्मचारियों के नाम जारी एक वीडियो संदेश में, कठिन समय में साथ देने के लिए कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, "बुरा समय अब पीछे छूट चुका है। कंपनी आज 2,200 उड़ानों का परिचालन कर रही है। यह टीमवर्क का नतीजा है।"

'जी राम जी बिल की प्रति फाड़कर विपक्ष ने लोकतंत्र को कलंकित किया'

नयी दिल्ली, 18 दिसंबर। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को संसद में विकसित भारत: रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) विधेयक की प्रति फाड़ने पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सांसदों के आचरण की आलोचना करते हुए, इसे लोकतंत्र को कलंकित करने वाला बताया।

- केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने जी राम जी बिल पर बहस का जवाब देते हुए विपक्षी दलों की आलोचना की

चौहान ने यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आज लोकसभा में विपक्षी दल कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सांसदों के आचरण से संसदीय मर्यादाएं तार-तार हुई हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने अपने कृत्य से लोकतंत्र को भीड़तंत्र और गुंडातंत्र में बदला है। चौहान ने कहा, "आप जानते हैं कि विकसित भारत: रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जीरामजी) विधेयक पर चर्चा थी। संसद में बुधवार को इस विधेयक पर चर्चा शुरू हुई, हमने पूरी गंभीरता से माननीय सांसदों की बातें सुनीं, क्योंकि चर्चा ही लोकतंत्र की प्राण है। लेकिन विपक्ष द्वारा जैसे अमर्यादित आचरण का प्रदर्शन हुआ, कागज फाड़कर उछाले गए, तो क्या ये बापू का अपमान नहीं है।

मनरेगा खत्म करने की साजिश का सख्त विरोध करेंगे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा मोदी सरकार का विकसित भारत जी राम जी बिल गरीब विरोधी है

नयी दिल्ली, 18 दिसंबर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि "विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (संशोधन) विधेयक 2025 गरीब विरोधी है और यह सरकार की मनरेगा को खत्म करने की रणनीति है, जिसका सख्त विरोध किया जाएगा।

- कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा रोजगार अवधि 100 से 125 दिन करना एक चालाकी है, इस स्कीम से आने वाले दिनों में मनरेगा योजना खत्म हो जाएगी।

वाड्रा ने लोकसभा में वीबी-जी-राम-जी (संशोधन) विधेयक 2025 के पारित होने के बाद, संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि "यह बिल गरीबों के खिलाफ है। वे और उनकी पार्टी इस विधेयक का विरोध करेगी। इस विधेयक से आने वाले महीनों में मनरेगा खत्म हो जाएगा। जैसे ही इसका बोझ राज्यों पर पड़ेगा, यह योजना धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि मनरेगा को खत्म करने वाले इस विधेयक का उनका गठबंधन पूरी तरह से विरोध करेगा। सभी विपक्षी दल इस मुद्दे पर सहमत हैं और एकजुट हैं।

वाड्रा ने इस विधेयक को मनरेगा खत्म करने की योजना बताते हुए कहा "100 दिन से 125 दिन की मजदूरी वाली बात सिर्फ एक चालाकी है। इस बिल से आने वाले समय में मनरेगा स्कीम खत्म हो जाएगी। जैसे ही बजट का बोझ राज्य सरकारों पर पड़ेगा, वैसे ही धीरे-धीरे मनरेगा बंद होने लगेगी। मनरेगा योजना देश के गरीब से गरीब लोगों के लिए रोजगार का सहारा थी, जो कोरोना जैसे मुश्किल हालात में भी उनके साथ थी। यह विधेयक गरीब-मजदूरों के खिलाफ है, हम इसका सख्त विरोध करेंगे।"

इससे पहले कांग्रेस तथा विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद भवन परिसर में इस विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। इस प्रदर्शन में कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, डीएमके के टीआर बालू, समाजवादी पार्टी के धर्मेन्द्र यादव, आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन सहित, कई दलों के सांसद शामिल हुए।

प्रदर्शन के बाद खरगे ने कहा, "यह मनरेगा का केवल नाम बदलने का मामला नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी रोज़गार योजना की योजनाबद्ध हत्या है। नये विधेयक के जरिए भाजपा सरकार उस अधिकार को छीन रही है, जो कांग्रेस ने दिया था। यह काम के अधिकार को छीनने की कोशिश है।

'नारी सशस्त्रीकरण ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सकारात्मक असर या गुंजाइश पैदा करने की स्थिति में नहीं होता। पीके यह बात समझते ही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर इस मुलाकात का उद्देश्य क्या था?

राहुल गांधी की तुलना में पीके का तालमेल प्रियंका के साथ बेहतर रहा है। जब उनसे 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस की चुनावी रणनीति संभालने को कहा गया था, तब पीके की पहली पसंद प्रियंका को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने की थी। वर्ष 2022 में भी, जब पीके ने कांग्रेस नेतृत्व के सामने पार्टी को फिर से मजबूत करने के लिए कई प्रस्तुतियाँ दी थीं, उस समय, खबरों के मुताबिक, प्रियंका इस पक्ष में ज्यादा थीं कि उनसे पार्टी में शामिल होने का अनुरोध किया जाए।

पीके अपने करियर को इस तरह परिभाषित करते हैं-दस साल वर्ल्ड बैंक में, दस साल राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में और अब दस साल बिहार की स्थिति सुधारने के लिए। 'एकला चालो' के अपने घोषित रास्ते से किसी भी तरह का हटना उनके लिए राजनीतिक आत्महत्या के समान होगा।

समझा जाता है कि व्यावहारिक सोच रखने वाले पीके ने प्रियंका के साथ हुई इस मुलाकात में, अनौपचारिक रूप से और बिना किसी पारिश्रमिक के, अपनी सेवाएँ देने की पेशकश की है।

राजनीति की राह अनिश्चित होने के कारण, पीके का मानना है कि मौजूदा निराशाजनक हालात के बावजूद, कांग्रेस की किस्मत फिर से पलट सकती है। जेएसपी सूत्रों के अनुसार, प्रियंका को उन्होंने यह सलाह भी दी है कि देश की राजनीति में बढ़ते लैंगिक रुझान को देखते हुए, उन्हें पार्टी के कामकाज में और अधिक प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए, ताकि पिछले वर्षों में राहुल के खिलाफ चलाए गए नकारात्मक प्रचार को संतुलित किया जा सके।

'महबूबा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नीतीश कुमार ने इस सप्ताह की शुरुआत में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में एक महिला डॉक्टर का बुर्का खींच कर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। वह महिला डॉक्टर अपनी नियुक्ति पत्र लेने आई थीं। अब्दुल्ला ने कहा, "अगर (बिहार) के मुख्यमंत्री को उसे (मुस्लिम महिला) आदेश सौंपना नहीं चाहते थे, तो वे उसे अलग रख सकते थे। लेकिन, उसे इस तरह से अपमानित करना पूरी तरह गलत है।"

सरिस्का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रेंजर शंकर सिंह ने बताया, आग करीब 100 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैल गई थी, लेकिन आग लगने का कारण पूरी तरह सामने नहीं आया है। एक युवक जंगल में मिला है, जिसने अलाव तापने की बात कही है। वह मानसिक रूप से विक्षिप्त नज़र आता है।

लाल किला बम विस्फोट मामले में एक और मुख्य आरोपी गिरफ्तार

आरोपी यासिर अहमद दार शोपियां का निवासी है

नयी दिल्ली, 18 दिसंबर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार विस्फोट मामले में एक और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस विस्फोट में 11 लोगों की मौत हुयी थी और कई अन्य घायल हुए थे।

- एनआईए ने यासिर को नई दिल्ली से यूएपीए तथा भारतीय न्याय संहिता के तहत गिरफ्तार किया है।

इस मामले में गिरफ्तार होने वाला नौवां व्यक्ति यासिर अहमद डार है जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के शोपियां का निवासी है। उसे केंद्रीय एजेंसी ने नयी दिल्ली से गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है।

एनआईए की जांच से राष्ट्रीय राजधानी को दहला देने वाले इस कार बम विस्फोट के पीछे की साजिश में डार की सक्रिय भूमिका का खुलासा हुआ है। वह इस साजिश का एक सक्रिय भागीदार था और उसने आत्मघाती अभियानों को अंजाम देने के लिए कसम खाई थी।

जांच से यह भी पता चला है कि डार इस मामले के अन्य आरोपियों के साथ निकट संपर्क में था, जिनमें बमबारी को अंजाम देने वाला मृत अपराधी उमर उन नबी और मुफ्ती इरफान शामिल हैं।

केंद्रीय एजेंसी विभिन्न राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर इस आतंकी हमले के पीछे की पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए तेजी से काम कर रही है। इस महीने की शुरुआत में एजेंसी ने जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश में कई आरोपियों और संदिग्धों के ठिकानों पर व्यापक तलाशी ली थी और वहां से कई डिजिटल उपकरण और अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की थी। इससे पहले मुख्य आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनी और डॉक्टर शाहीन सईद के ठिकानों तथा फरीदाबाद के अल फलाह विश्वविद्यालय परिसर और अन्य स्थानों पर भी इसी तरह छापे मारे गये थे।

कोलकाता अलीपुर ज़ू में बाघिन की मौत

कोलकाता, 18 दिसंबर। ओडिशा के नंदनकानन से लाई गई 34 महीने की एक बाघिन की दक्षिण कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर में अज्ञात बीमारी से मौत हो गई।

रॉयल बंगाल टाइगर की यह तीसरी मौत है, जिससे पश्चिम बंगाल में पशु प्रेमियों की चिंता बढ़ गई है।

- ज़ू में सितम्बर में भी दो बाघों की मौत हो चुकी है। मृत बाघिन ओडिशा के नंदनकानन से लाई गई थी।

उल्लेखनीय है कि यह बाघिन फरवरी 2023 में ओडिशा के नंदनकानन में पैदा हुई थी और उसी साल अगस्त में कोलकाता लाई गई थी। बुधवार को अलीपुर चिड़ियाघर में अपने पिंजरे में वह मृत पाई गई। अलीपुर चिड़ियाघर की निदेशक तृप्ति साह ने बताया कि पोस्टमॉर्टम किया गया है और युवा बाघिन की असमय मौत के कारणों का पता लगाने के लिए विसरा जांच किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बाघिन हीमोप्रोटोज़ोअन पैरासाइट से होने वाले संक्रमण से पीड़ित थी। उसे चिड़ियाघर के स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। यह पैरासाइट टिक्स या काटने वाली मक्खियों से फैलता है, जिससे बुखार, एनीमिया और पीलिया होता है। ये पैरासाइट पालतू जानवरों को भी प्रभावित करता है। विसरा जांच से मौत के सही कारण का पता चलेगा। जाने-माने भारतीय वन्यजीव संरक्षक, फोटोग्राफर और पर्यावरणविद् बिस्वजीत रॉय चौधरी ने युवा बाघिन की मौत पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, "मुझे संदेह है कि चिड़ियाघर के अंदर कुछ पैरासाइट हाल की मौतों के लिए जिम्मेदार हैं।"

'अगर केरल में जीतना है ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इसका उत्तर है, क्या काम? असल में उनके पास या तो बहुत कम काम है या कोई काम ही नहीं है। अधिकांश राज्य के फैसले के.सी. वेणुगोपाल द्वारा ही लिए जाते हैं।

और बिना उनके "ओके" के, वे कोई निर्णय नहीं ले सकते।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल, जो पंजाब के एआईसीसी महासचिव हैं, वेणुगोपाल की सहमति के बिना कोई निर्णय नहीं लेते।

नेताओं का कहना है कि पंजाब एक समृद्ध राज्य है, जिसमें बहुत पैसा है, और वेणुगोपाल एक ऐसा समूह नियंत्रित करते हैं, जो केवल उन्हें जवाब देता है।

राजस्थान के प्रभारी रंधावा भी इस समूह का हिस्सा हैं और रंधावा के माध्यम से वेणुगोपाल राजस्थान को नियंत्रित करते हैं।

रंधावा के अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा और सीएलपी नेता टीकाराम जूली के साथ करीबी रिश्ते हैं।

जिला अध्यक्षों की नियुक्ति भी इस समूह द्वारा की गई है, जिससे राज्य नेताओं में काफी नाराजगी पैदा हुई है और राहुल गांधी के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की पूरी अवधारणा को नकार दिया गया है।

अशोक गहलोत पुनर्वासित होने के लिए इच्छुक हैं और वेणुगोपाल ओवरटाइम काम कर रहे हैं, ताकि उन्हें राजस्थान से राज्यसभा में लाया जा सके, भले ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ खुली बगावत की थी।

- राजस्थान में प्रभारी रंधावा यह भूमिका निभा रहे हैं तथा वे अशोक गहलोत, डोटासरा व जूली को साथ लेकर राजस्थान में कांग्रेस संगठन चला रहे हैं।
- गहलोत किसी तरह अपना पुनर्वास चाहते हैं तथा वेणुगोपाल अब उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनवाना चाहते हैं और इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए वेणुगोपाल तर्क दे रहे हैं कि गहलोत को दिल्ली भेजना इसलिए भी जरुरी है, जिससे नये नेताओं को काम करने का पूरा खुला मौका मिले और इस तर्क का मतलब यह भी नहीं कि नया नेता सचिन पायलट ही होंगे। आजकल रंधावा डोटासरा पर ज्यादा मेहरबान हैं।
- यह व्यंग्य भी सुनाई दे रहा है कि जिस तरह वेणुगोपाल ने राहुल गांधी को सम्मोहित कर रखा है, शायद केरल की जनता को भी सम्मोहित कर लें और कांग्रेस केरल में जीत कर सरकार बना ले।

वेणुगोपाल द्वारा प्रचारित की जा रही लाइन यह है कि गहलोत को दिल्ली लाना आवश्यक है, ताकि राजस्थान में एक नए नेता के लिए जगह बन सके।

स्रोतों का कहना है कि नया नेता सचिन पायलट नहीं हो सकता, क्योंकि वेणुगोपाल डोटासरा को बढ़ावा दे रहे हैं।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वेणुगोपाल, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कमज़ोर हैं, इतने प्रतिभाशाली हैं और उनका प्रभाव पूरे भारत में है और केवल वे ही कांग्रेस के लिए केरल जीत सकते हैं।

इस समय चर्चाएं हैं कि वाम मोर्चा सत्ता में लौटने की तैयारी में है, लेकिन जैसे के.सी. वेणुगोपाल ने अपनी जादूगरी से राहुल का विश्वास हासिल किया, वैसे ही वह केरल में भी जादू कर सकते हैं।

नीति आयोग ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन्होंने मानव-निर्मित फाइबर का उदाहरण दिया। वैश्विक कपड़ा व्यापार का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा इसी सैगमैंट में केन्द्रित होने के बावजूद, कच्चे माल और जरुरी इनपुट्स पर सख्त नीतियों की वजह से भारत का वैश्विक स्तर पर बड़ा खिलाड़ी बनने का सपना कमज़ोर हो रहा है। सिर्फ दो बड़े घरेलू आपूर्तिकर्ता 35 से 40 प्रतिशत तक ऊँची कीमत वसूल पा रहे हैं और आयात लगभग बंद है। ऐसे में नीचे की कड़ी के निर्माता कीमतों में प्रतिस्पर्धा और निर्यात, दोनों अवसर खो देते हैं। कांत के अनुसार, इसका सीधा असर रोजगार सृजन पर पड़ता है, खासकर ऐसे क्षेत्र में, जो श्रम-प्रधान है।

कांत ने हाल ही में कुछ क्यूसीओ वापस लिए जाने का स्वागत किया, लेकिन अपना रुख साफ रखा। उनके अनुसार, ऐसे आदेश कभी भी इनपुट्स, मध्यवर्ती उत्पादों या पुर्जों पर लागू नहीं होने चाहिए। उनका कहना है कि इस सीमा को बार-बार पार किया गया है, जिससे क्वालिटी एश्योरैंस टूल संरक्षणवाद की दीवार में बदल गया है।

इस सवाल पर, कि क्या क्यूसीओ बिल्कुल भी जायज़ हैं, कांत ने उन्हें सीधे तौर पर पूरी तरह खारिज नहीं किया। अंतिम उत्पादों के लिए, उन्होंने कहा, हर सामान के लिए उन पर केस दर केस के आधार पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते सही एनालेसिस, पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया हो। जिस बात का उन्होंने कड़ा विरोध किया, वह थी, निर्णय लेने की शक्ति का एक ही मंत्रालय में सिमट जाना। उन्होंने कहा कि मंत्रालयों के बीच जांच और स्टेकहोल्डर से सलाह मशविरा, खासकर एस.एस.एम.ई. के साथ, के बिना यह सिस्टम "गड़बड़ा गया है," उन्होंने रोजाना आने वाले नए क्यू.सी.ओ. को छोटे व्यवसायों के लिए दु:स्वप्न बताया। क्या कांत सरकार के साथ सीधे टकराव में हैं? खुले तौर पर नहीं, लेकिन उनकी टिप्पणियाँ मौजूदा नीति की दिशा से उनके मतभेद को साफ दिखाती हैं। उन्होंने सिर्फ नौकरशाही को दोष देने से बचते हुए यह भी माना कि फैसलों के पीछे एक राजनीतिक प्रक्रिया है, लेकिन इशारा किया कि यह दबाव सबसे ऊँचे राजनीतिक स्तर से नहीं आया है। उनका व्यापक संदेश चेतावनी भरा है: अगर भारत सच में वैश्विक वैल्यू चेन से जुड़ा एक बड़ा मैनुफैक्चरिंग केन्द्र बनना चाहता है, तो क्वालिटी के बहाने आयातित कच्चे माल और इनपुट्स पर रोक लगाकर वह अपने ही विकास के रास्ते में बाधा नहीं डाल सकता।

हाई कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जोधपुर में भी तीन बेंच गठित कर मौजूदा न्यायाधीशों को इनकी अध्यक्षता की जिम्मेदारी दी गई है।

'बोतलबंद पानी की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

शुरुआत में ही बेंच ने याचिका के मूल विषय पर सवाल उठाया। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने टिप्पणी की कि देश अभी भी पीने के पानी की बुनियादी समस्या से जूझ रहा है। उन्होंने कहा, "इस देश में पीने का पानी कहां है? लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है, बोतलबंद पानी की गुणवत्ता तो बाद में आएगी", उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं है।

याचिकाकर्ता की वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता अनिता शेनॉय ने तर्क दिया कि यह मुद्दा सीधे तौर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित है और उपभोक्ताओं को सुरक्षित और पीने योग्य पैकेज्ड पानी का अधिकार है। उन्होंने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 18 का हवाला देते हुए कहा कि वैधानिक अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करें और निर्धारित मानकों को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने भारतीय नियमों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों, विशेष रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों, के बीच असमानताओं को भी उजागर किया।

लेकिन बेंच इस तर्क से सहमत नहीं हुई। मुख्य न्यायाधीश ने इस याचिका को "शहर केन्द्रित दृष्टिकोण" के रूप में वर्णित करते हुए कहा कि बड़ी ग्रामीण आबादी रोज़ाना पेयजल प्राप्त करने के लिए भूमिगत जल पर निर्भर है। "यह एक शहर- केन्द्रित दृष्टिकोण है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग भूमिगत जल पीते हैं, और उन्हें कोई परेशानी नहीं होती।"

कोर्ट ने यह भी नोट किया कि अगर याचिका उन क्षेत्रों पर केन्द्रित होती, जहां पीने के पानी की बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं, तो वह मामला अलग तरीके से देख सकते थे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "पानी की बोतल में यह सामग्री होनी चाहिए, वह सामग्री होनी चाहिए, ये सब लग्ज़री मुकदमे हैं।"

जब वकील ने इस मामले को लग्ज़री मुकदमा कहने पर असहमत होकर इसके सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभावों पर जोर दिया, तो बेंच ने कहा कि वे याचिका मौजूदा वास्तविकताओं को नज़रअंदाज़ कर रही हैं।

सीजेआई ने कहा, "क्या आप सोचते हैं कि हम, यूएसए, ईयू या जापान के दिशा निर्देश लागू कर सकते हैं? चलिए, देश की वास्तविकताओं को देखते हैं। कोई भी गरीबों का मुद्दा नहीं उठाता, यह अमीरों और शहरीकरण का डर है।"

हालांकि, याचिका में कहा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों की तुलना में भारतीय मानकों की स्वीकार्य सीमाएं पुरानी हैं, पर कोर्ट ने इस पर जाँच से इन्कार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दी और उचित प्राधिकृत प्राधिकरण से संपर्क करने का अधिकार दिया।

अंतिम टिप्पणी में, मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "जब गांधी भारत लौटे थे, तो वे सबसे पहले गरीब क्षेत्रों में गए थे। याचिकाकर्ता से कहिए कि वे उन क्षेत्रों में जाएं, जहां लोग पीने के पानी के लिए भी संघर्ष करते हैं, तब उनकी समझ में आएगा कि भारत वास्तव में किस समस्या का सामना कर रहा है।"

रीट पेपर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अदालत के छह माह में अभियोजन साक्ष्य पूरा नहीं करने पर उसे नए सिरे से जमानत अर्जी पेश करने को कहा था।

सुप्रीम कोर्ट से समयबद्ध निर्देश प्राप्त होने के बाद भी, निचली अदालत ने अभी तक आरोप तय नहीं किए हैं। ऐसे में मूल मामले के साथ ही इस ईडी केस में भी सुनवाई आरंभ नहीं हुई है। मूल मामले में याचिकाकर्ता जमानत पर रिहा है और ईडी केस में एक साल से जेल में बंद है।

जमानत याचिका में कहा गया कि मामले में 30 गवाहों के साथ ही हजारों दस्तावेज पेश हुए हैं, जिनका परीक्षण ईडी कोर्ट को करना है। गवाहों में अधिकतम सरकारी कर्मचारी हैं और उनके प्रभावित होने की आशंका नहीं है। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय:-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908